



प्रेस विज्ञप्ति

08.03.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भुवनेश्वर ने मेसर्स अर्थ तत्व (एटी) ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले में 07.03.2024 को ओडिशा में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है।

ईडी ने मेसर्स अर्थ तत्वा (एटी) ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि अर्थ तत्व (एटी) ग्रुप ऑफ कंपनीज ने नियामक प्राधिकारी की उचित अनुमति के बिना जनता से राशि जमा कर धोखाधड़ी की। एटी समूह ने क्लासिक "पोंजी निवेश घोटाला" चलाने के लिए कई अलग-अलग रियल एस्टेट कंपनियों और ऐसी अन्य परस्पर जुड़ी संस्थाओं का गठन किया क्योंकि निवेशकों को वापस भुगतान करने के लिए अधिशेष उत्पन्न करने में सक्षम कोई सार्थक निवेश नहीं था। आज तक, अपराध से प्राप्त आय रु. 5 अलग-अलग अनंतिम कुर्की आदेशों के माध्यम से 135 करोड़ रुपये कुर्क किए गए हैं और 15 अलग-अलग आरोपी व्यक्तियों/संस्थाओं के संबंध में 3 अभियोजन शिकायतें भी दर्ज की गई हैं।

तलाशी अभियान के दौरान कुल रु. 23 लाख रुपये नकद, एक ऑडी क्यू 3 कार जिसकी कीमत लगभग 35 लाख रुपये, 24.15 रु. लाख मूल्य के आभूषण जब्त किये गये। इसके अलावा तलाशी परिसर से अदिनांकित चेक, बिक्री विलेख समझौते और डिजिटल उपकरणों सहित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं।

आगे की जांच जारी है।